अनुबंध 2: राज्यों के राजकोषीय जवाबदेही कानून

मद/राज्य	मणिपुर	नगालैंड	उत्तरांचल	अरुणाचल प्रदेश	मेघालय	बिहार	गोवा
1	2	3	4	5	6	7	8
1. लागू करने का वर्ष	अगस्त 2005	अगस्त 2005	अक्तूबर 2005	मार्च 2006	मार्च 2006	अप्रैल 2006	मई 2006
2. सकल राजकोषीय घाटा (जीएफडी)	• जीएसडीपी का 3 प्रतिशत	• मार्च 2009 तक जीएसडीपी का 3 प्रतिशत	• मार्च 2009 तक जीएसडीपी का 3 प्रतिशत • प्रत्येक वित्तीय वर्ष में यह अनुपात कम करना	• मार्च 2010 तक जीएसडीपी का 3 प्रतिशत	• 2008-09 तक जीएसडीपी का 3 प्रतिशत	• 2008-09 के बाद से जीएसडीपी का 3 प्रतिशत	• मार्च 2009 तक जीएसडीपी का 3 प्रतिशत • अप्रैल 2006 की शुरूआत से प्रत्येक वित्तीय वर्ष में जीएफडी / जीएसडीपी को 0.5 प्रतिशत कम करना
3. राजस्व घाटा (आर डी)	• राजस्व संतुलन के लिए प्रयास और राजस्व की अधिशेष स्थिति प्राप्त करना	• राजस्व संतुलन के लिए प्रयास और राजस्व की अधिशेष स्थिति प्राप्त करना	• मार्च 2009 तक शून्य करना • प्रत्येक वित्तीय वर्ष में अनुपात कम करना	• मार्च 2009 तक शून्य करना • आरडी/जीएसडीपी को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कम करना	• 2008-09 तक शून्य करना	• 2008-09 तक शून्य करना	• मार्च 2009 तक शून्य करना • अप्रैल 2006 से शुरू करके आरडी/ आरआर को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 1.5 प्रतिशत कम करना
4. गारंटी	• राज्य सरकार गारंटी अधिनियम, 2004 से संबंधित मणिपुर सीलिंग के प्रावधानों के अनुसार बकाया गारंटियों की राशि को सीमित करना।	• वार्षिक वृद्धिशील जोखिम भारित गारंटी की राशि को कुल राजस्व प्राप्ति के 1 प्रतिशत तक या वर्तमान वर्ष के पिछले वर्ष के जीएसडीपी के 1 प्रतिशत तक, जो भी कम हो, सीमित करना।	• किसी नियम अथवा राज्य सरकार के कानून के अंतर्गत निर्धारित सीमा से अधिक राशि की गारंटी न देना।	• गारंटी देने में दकियानूसी बरतना	• चयनात्मक आधार को छोड़कर गारंटी सीमित तरीके से जारी करना	–	• गोवा राज्य गारंटी अधिनियम, 1993 के अंतर्गत निर्धारित सीमा में कुल बकाया गारंटियों को रखना।

टिप्पणी : 1. राजकोषीय जवाबदेही कानून का सारांश 16 राज्यों (कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र, राजस्थान, असम, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा और आंध्र प्रदेश) के बारे में पिछले वर्ष के 'राज्य वित्त - 2005-06 के बजट का अध्ययन' के अनुबंध-2 में प्रकाशित किया गया है।

2. कुछ राज्यों ने बाद में अपने राजकोषीय जवाबदेही कानून संशोधित किए हैं। यह अनुबंध उपलब्ध अद्यतन जानकारी के आधार पर तैयार किया गया है, संभव है कि संशोधनों को शामिल न किया जा सका हो।

अनुबंध 2: राज्यों के राजकोषीय जवाबदेही कानून *(जारी)*

मद/राज्य	मणिपुर	नगालैंड	उत्तरांचल	अरुणाचल प्रदेश	मेघालय	बिहार	गोवा
1	2	3	4	5	6	7	8
5. देयताएं	-	• मार्च 2010 तक कुल ऋण का स्टाक जीएसडीपी के 40 प्रतिशत से अधिक न हो।	• मार्च 2015 तक कुल बकाया देयताएं जीएसडीपी के 25 प्रतिशत से अधिक न हों।	–	• समेकित निधि की सकल बकाया देयताएं जीएसडीपी के 28 प्रतिशत से अधिक न हों।	–	• सकल बकाया देयताएं मार्च 2009 तक जीएसडीपी के 30 प्रतिशत से अधिक न हों। • आईपी/आरआर का अनुपात मार्च 2009 तक 20 प्रतिशत से अधिक न हो।
6. व्यय	• ऐसी व्यय नीति अपनाना जो विकास को बढ़ावा दे, गरीबी कम करे और मानव कल्याण में सुधार लाए। • ऐसी भर्ती एवं वेतन नीति का पालन करना कि कुल वेतन बिल, राजस्व व्यय की तुलना में ब्याज भुगतान एवं पेंशन को घटाकर 35 प्रतिशत से अधिक न हो।	• ऐसी व्यय नीति अपनाना जो विकास को बढ़ावा दे, गरीबी कम करे और मानव कल्याण में सुधार लाए। • ऐसी भर्ती एवं वेतन नीति का पालन करना कि कुल वेतन बिल, राजस्व व्यय की तुलना में ब्याज भुगतान एवं पेंशन को घटाकर किसी भी वित्तीय वर्ष में 61 प्रतिशत से अधिक न हो।	• ऐसी व्यय नीति अपनाना जो विकास को बढ़ावा दे, गरीबी कम करे और मानव कल्याण में सुधार लाए। • व्यय को सृजित राजस्व के स्तर के बराबर रखना • राजकोषीय वर्ष का पालन करते समय, राज्य सरकार केवल उन व्यय को संरक्षण देगी जो एमटीएफआरपी में 'उच्च प्राथमिकता विकास व्यय' के रूप में वर्गीकृत किये गये हैं।	• ऐसी व्यय नीति अपनाना जो विकास को बढ़ावा दे, गरीबी कम करे और मानव कल्याण में सुधार लाए। • व्यय को सृजित राजस्व के स्तर के बराबर रखना • राजकोषीय वर्ष का पालन करते समय, राज्य सरकार केवल उन व्यय को संरक्षण देगी जो एमटीएफआरपी में 'उच्च प्राथमिकता विकास व्यय' के रूप में वर्गीकृत किये गये हैं।	• ऐसी व्यय नीति अपनाना जो विकास को बढ़ावा दे, गरीबी कम करे और मानव कल्याण में सुधार लाए। • व्यय को प्राप्ति क्षमता के समान रखना। • गैर-योजना व्यय को नियंत्रित रखना। • मजदूरी व वेतन पर सरकार का व्यय कम करना।	• पूंजीगत व्यय की प्राथमिकता हेतु मानदण्ड निर्धारित करना,ऐसी व्यय नीति अपनाना जो विकास को बढ़ावा दे, गरीबी कम करे और मानव कल्याण में सुधार लाए।	• व्यय को सृजित राजस्व के अनुरूप रखना।
7. मध्यावधि राजकोषीय योजना (एमटीएफपी)	• एमटीएफपी में निर्धारित राजकोषीय संकेतकों के लिए	• एमटीएफपी में निर्धारित राजकोषीय संकेतकों के लिए	• एमटीएफपी में निर्धारित राजकोषीय संकेतकों के लिए	• एमटीएफपी में निर्धारित राजकोषीय संकेतकों के लिए	• एमटीएफपी में निर्धारित राजकोषीय संकेतकों के लिए	• एमटीएफपी में निर्धारित राजकोषीय संकेतकों के लिए	• एमटीएफपी में निर्धारित राजकोषीय संकेतकों के लिए

अनुबंध 2: राज्यों के राजकोषीय जवाबदेही कानून *(जारी)*

मद/राज्य	मणिपुर	नगालैंड	उत्तरांचल	अरुणाचल प्रदेश	मेघालय	बिहार	गोवा
1	2	3	4	5	6	7	8
	तीन वर्षीय चल लक्ष्य होंगे। • निम्नलिखित के संबंध में निरंतरता (सस्टेनेबिलिटी) का मूल्यांकन ◦ राजस्व प्राप्तियों और राजस्व व्यय में संतुलन ◦ उत्पादक आस्ति के सृजन के लिए पूंजीगत प्राप्तियों का इस्तेमाल ◦ वास्तविक आधार पर गणना की गई वार्षिक पेंशन देयता का अगले दस वर्ष का अनुमान	तीन वर्षीय चल लक्ष्य होंगे। • निम्नलिखित के संबंध में निरंतरता (सस्टेनेबिलिटी) का मूल्यांकन ◦ राजस्व प्राप्ति और राजस्व व्यय में संतुलन उत्पादक आस्ति के सृजन के लिए पूंजीगत प्राप्तियों का इस्तेमाल ◦ उत्पादक आस्ति के सृजन के लिए पूंजीगत प्राप्तियों का इस्तेमाल ◦ वास्तविक आधार पर गणना की गई वार्षिक पेंशन देयता	तीन वर्षीय चल लक्ष्य होंगे। • निम्नलिखित के संबंध में निरंतरता (सस्टेनेबिलिटी) का मूल्यांकन ◦ राजस्व प्राप्ति और राजस्व व्यय में संतुलन ◦ उत्पादक आस्ति के सृजन के लिए पूंजीगत प्राप्तियों का इस्तेमाल • एमटीएफपी में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित का समावेश रहेगा । ◦ आगामी वित्तीय वर्ष के लिए राजकोषीय मामले संबंधी सरकार की रणनीतिक प्राथमिकताएं ◦ मध्यावधि राजकोषीय उद्देश्य ◦ लक्ष्य की तुलना में पिछले वर्ष के निर्धारित राजकोषीय संकेतकों के निष्पादन का मूल्यांकन ◦ आगामी वर्ष में कराधान, व्यय, उधार	तीन वर्षीय चल लक्ष्य होंगे। • निम्नलिखित के संबंध में निरंतरता (सस्टेनेबिलिटी) का मूल्यांकन ◦ राजस्व प्राप्ति और राजस्व व्यय में संतुलन ◦ उत्पादक आस्ति के सृजन के लिए पूंजीगत प्राप्तियों का इस्तेमाल • एमटीएफपी में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित का समावेश रहेगा । ◦ आगामी वित्तीय वर्ष के लिए राजकोषीय मामले संबंधी सरकार की रणनीतिक प्राथमिकताएं ◦ मध्यावधि राजकोषीय उद्देश्य ◦ लक्ष्य की तुलना में पिछले वर्ष के निर्धारित राजकोषीय संकेतकों के निष्पादन का मूल्यांकन ◦ आगामी वर्ष में कराधान, व्यय, उधार और अन्य	तीन वर्षीय चल लक्ष्य होंगे । • निम्नलिखित के संबंध में निरंतरता (सस्टेनेबिलिटी) का मूल्यांकन ◦ राजस्व प्राप्ति और राजस्व व्यय में संतुलन ◦ उत्पादक आस्ति के सृजन के लिए पूंजीगत प्राप्तियों का इस्तेमाल ◦ वृद्धि दर की प्रवृत्ति के आधार पर अगले दस वर्ष के लिए वार्षिक पेंशन देयता का अनुमान	तीन वर्षीय चल लक्ष्य होंगे। • निम्नलिखित के संबंध में निरंतरता (सस्टेनेबिलिटी) का मूल्यांकन ◦ राजस्व प्राप्ति और राजस्व व्यय में संतुलन ◦ उत्पादक आस्ति के सृजन के लिए पूंजीगत प्राप्तियों का इस्तेमाल ◦ वास्तविक आधार पर अगले दस वर्ष के लिए वार्षिक पेंशन देयता का अनुमान	बहु-वर्षीय लक्ष्य होंगे। • निम्नलिखित के संबंध में निरंतरता (सस्टेनेबिलिटी) का मूल्यांकन ◦ राजस्व प्राप्ति और राजस्व व्यय में संतुलन ◦ उत्पादक आस्ति के सृजन के लिए पूंजीगत प्राप्तियों का इस्तेमाल • एमटीएफपी में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित का समावेश रहेगा ◦ मध्यावधि राजकोषीय उद्देश्य ◦ लक्ष्य की तुलना में पिछले वर्ष के निर्धारित राजकोषीय संकेतकों के निष्पादन का मूल्यांकन ◦ आगामी वर्ष में कराधान, व्यय, उधार और अन्य देयताओं के संबंध में सरकार की नीतियां ◦ आगामी वित्तीय वर्ष में राजकोषीय मामलों में सरकार

अनुबंध 2: राज्यों के राजकोषीय जवाबदेही कानून *(जारी)*

मद/राज्य	मणिपुर	नगालैंड	उत्तरांचल	अरुणाचल प्रदेश	मेघालय	बिहार	गोवा
1	2	3	4	5	6	7	8
			और अन्य देयताओं के संबंध में सरकार की नीतियां	देयताओं के संबंध में सरकार की नीतियां			की रणनीति संबंधी प्राथमिकताएं ।
8. अनुपालन	• बजट अनुमान की तुलना में प्राप्तियों और व्यय की प्रवृत्ति की तिमाही समीक्षा। • इस अधिनियम के अनुपालनात्मक प्रावधानों की समीक्षा के लिए स्वतंत्र एजेंसी गठित की जा सकती है। • जब भी राजस्व में कमी आए या व्यय लक्ष्य से अधिक हो जाए तो राजस्व बढ़ाने और/अथवा व्यय कम करने के उचित उपाय किए जाएं। • ऐसा विवरण दोनों सदनों में प्रस्तुत किया जाए जिसमें वित्तीय वर्ष में ऐसे प्रस्तावित उपाय जिससे राजस्व घाटा बढ़ेगा, के साथ ऐसा विवरण भी दिया जाए जिसमें ऐसी वृद्धि	• बजट अनुमान की तुलना में प्राप्तियों और व्यय की प्रवृत्ति की तिमाही समीक्षा। • इस अधिनियम के अनुपालनात्मक प्रावधानों की समीक्षा के लिए स्वतंत्र एजेंसी गठित की जा सकती है। • जब भी राजस्व में कमी आए या व्यय लक्ष्य से अधिक हो जाए तो राजस्व बढ़ाने और/अथवा व्यय कम करने के उचित उपाय किए जाएं। • ऐसा विवरण दोनों सदनों में प्रस्तुत किया जाए जिसमें वित्तीय वर्ष में ऐसे प्रस्तावित उपाय जिससे राजस्व घाटा बढ़ेगा, के साथ ऐसा विवरण भी दिया जाए	• बजट अनुमान की तुलना में प्राप्तियों और व्यय की प्रवृत्ति की छमाही समीक्षा के साथ-साथ बजट लक्ष्य प्राप्त करने के सुधारात्मक उपाय। • जब भी राजस्व में कमी आए या व्यय लक्ष्य से अधिक हो जाए तो राजस्व बढ़ाने और/अथवा व्यय कम करने के उचित उपाय किए जाएं। • अनुपूरक अनुमान के साथ व्यय कम करने और/अथवा राजस्व बढ़ाने का विवरण हो।	• बजट अनुमान की तुलना में प्राप्तियों और व्यय की प्रवृत्ति की छमाही समीक्षा के साथ-साथ बजट लक्ष्य प्राप्त करने के सुधारात्मक उपाय। • जब भी राजस्व में कमी आए या व्यय लक्ष्य से अधिक हो जाए तो राजस्व बढ़ाने और/ अथवा व्यय कम करने के उचित उपाय किए जाएं। • अनुपूरक अनुमान के साथ व्यय कम करने और/अथवा राजस्व बढ़ाने का विवरण हो।	• बजट अनुमान की तुलना में प्राप्तियों और व्यय की प्रवृत्ति की तिमाही समीक्षा। • इस अधिनियम के अनुपालन वाले प्रावधानों की समीक्षा के लिए स्वतंत्र एजेंसी गठित करना। • जब भी राजस्व में कमी आए या व्यय लक्ष्य से अधिक हो जाए तो राजस्व बढ़ाने और/ अथवा व्यय कम करने के उचित उपाय किए जाएं। • ऐसा विवरण दोनों सदनों में प्रस्तुत किया जाए जिसमें वित्तीय वर्ष में ऐसे प्रस्तावित उपाय जिससे राजस्व घाटा बढ़ेगा, के साथ ऐसा विवरण भी दिया जाए जिसमें ऐसी वृद्धि अथवा नुकसान को बराबर करने के	• बजट अनुमान की तुलना में प्राप्तियों और व्यय की प्रवृत्ति की तिमाही समीक्षा । • राज्य सरकार इस अधिनियम के अनुपालन वाले प्रावधानों की समीक्षा के लिए एक स्वतंत्र एजेंसी गठित कर सकती है जो अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन की समय-समय पर समीक्षा करेगी और इस समीक्षा को राज्य विधान सभा के सदनों के समक्ष प्रस्तुत करेगी। • राज्य सरकार इस बात के यथोचित उपाय करेगी यदि राजकोषीय नीति संबंधी रणनीतिक वक्तव्य अथवा इस अधिनियम के नियमों में उल्लिखित आंतर-	• बजट अनुमान की तुलना में प्राप्तियों और व्यय की प्रवृत्ति की छमाही समीक्षा के साथ- साथ बजट लक्ष्य प्राप्त करने के सुधारात्मक उपाय • इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन की समीक्षा का कार्य किसी स्वतंत्र एजेंसी को सौंपा जा सकता है। • ऐसा विवरण दोनों सदनों में प्रस्तुत किया जाए जिसमें वित्तीय वर्ष में ऐसे प्रस्तावित उपाय जिससे राजस्व घाटा बढ़ेगा, के साथ ऐसा विवरण भी दिया जाए जिसमें ऐसी वृद्धि अथवा नुकसान को बराबर करने के सुधारात्मक उपाय दिए गए हों। • वित्त मंत्री विधान मंडल के दोनों

अनुबंध 2: राज्यों के राजकोषीय जवाबदेही कानून *(जारी)*

मद/राज्य	मणिपुर	नगालैंड	उत्तरांचल	अरुणाचल प्रदेश	मेघालय	बिहार	गोवा
1	2	3	4	5	6	7	8
	अथवा नुकसान को बराबर करने के सुधारात्मक उपाय दिए गए हों।	जिसमें ऐसी वृद्धि अथवा नुकसान को बराबर करने के सुधारात्मक उपाय दिए गए हों।			सुधारात्मक उपाय दिए गए हों। • वित्त मंत्री विधान मंडल के दोनों सदनों में वक्तव्य देंगे यदि इस अधिनियम के अंतर्गत राज्य सरकार पर लगाई गई बाध्यताएं अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण पूरी न हुई हों और उनके सुधारात्मक उपाय।	वर्षीय लक्ष्यों की तुलना में राजस्व में कोई कमी होती है या व्यय में वृद्धि होती है। • ऐसा विवरण दोनों सदनों में प्रस्तुत किया जाए जिसमें वित्तीय वर्ष में ऐसे प्रस्तावित उपाय जिससे राजस्व घाटा बढ़ेगा, के साथ ऐसा विवरण भी दिया जाए जिसमें ऐसी वृद्धि अथवा नुकसान को बराबर करने के सुधारात्मक उपाय दिए गए हों। • वित्त मंत्री विधान मंडल के दोनों सदनों में वक्तव्य देंगे यदि इस अधिनियम के अंतर्गत राज्य सरकार पर लगाई गई बाध्यताएं अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण पूरी न हुई हों और उनके सुधारात्मक उपाय।	सदनों में वक्तव्य देंगे, यदि इस अधिनियम के अंतर्गत राज्य सरकार पर लगाई गई बाध्यताएं अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण पूरी न हुई हों और उनके सुधारात्मक उपाय। • अनुपूरक अनुमान के साथ व्यय कम करने और/अथवा राजस्व बढ़ाने का विवरण हो ।

अनुबंध 2: राज्यों के राजकोषीय जवाबदेही कानून *(जारी)*

मद/राज्य	मणिपुर	नगालैंड	उत्तरांचल	अरुणाचल प्रदेश	मेघालय	बिहार	गोवा
1	2	3	4	5	6	7	8
9. पेंशन	• अगले दस वर्ष के लिए वास्तविक आधार पर गणना की गई अनुमानित वार्षिक पेंशन देयताएं • यदि उक्त पहले तीन वर्ष के लिए संभव न हो तो वृद्धि दर की प्रवृत्ति के आधार पर पूर्वानुमान किए जाएं।	• अगले दस वर्ष के लिए वास्तविक आधार पर गणना की गई अनुमानित वार्षिक पेंशन देयताएं • यदि उक्त पहले तीन वर्ष के लिए संभव न हो तो वृद्धि दर की प्रवृत्ति के आधार पर पूर्वानुमान किए जाएं।	–	–	• वृद्धि दर की प्रवृत्ति के आधार पर अगले 10 वर्ष के लिए वार्षिक पेंशन देयता का अनुमान लगाया जाए ।	• वास्तविक अगले दस वर्ष के लिए वास्तविक आधार पर गणना की गई अनुमानित वार्षिक पेंशन देयताएं • यदि उक्त पहले तीन वर्ष के लिए संभव न हो तो वृद्धि दर की प्रवृत्ति के आधार पर पूर्वानुमान किए जाएं।	–
10. राजकोषीय पारदर्शिता	• राजकोषीय परिचालनों में बेहतर पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उपाय। • लेखांकन मानकों, नीतियों और व्यवहारों में महत्वपूर्ण परिवर्तनों का प्रकटीकरण • भारतीय रिज़र्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम / ओवरड्राफ्ट के माध्यम से उधार के ब्योरे का प्रकटीकरण। • जब भी राज्य किसी अलग संस्था को	• राजकोषीय परिचालनों में बेहतर पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उपाय। • लेखांकन मानकों, नीतियों और व्यवहारों में महत्वपूर्ण परिवर्तनों का प्रकटीकरण • भारतीय रिज़र्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम / ओवरड्राफ्ट के माध्यम से उधार के ब्योरे का प्रकटीकरण। • जब भी राज्य किसी अलग संस्था को मूल राशि और/	• राजकोषीय परिचालनों में बेहतर पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उपाय। • ऐसे ब्योरे दें जिसमें गारंटियों तथा लेखांकन प्रणाली में परिवर्तनों की जानकारी हो जो राजकोषीय संकेतकों को प्रभावित कर सकते हों।	• राजकोषीय परिचालनों में बेहतर पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उपाय। • गारंटियों तथा लेखांकन व्यवहार में परिवर्तन की पर्याप्त जानकारी दी जाए।	• राजकोषीय परिचालनों में बेहतर पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उपाय। • लेखांकन मानक, नीतियों तथा प्रथाओं में महत्वपूर्ण परिवर्तन का प्रकटीकरण • भारतीय रिज़र्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम / ओवरड्राफ्ट के माध्यम से उधार के ब्योरे का प्रकटीकरण • राजकोषीय नीति का संचालन तथा सरकारी वित्त की स्थिति के बारे में	• राजकोषीय परिचालनों में बेहतर पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उपाय। • बजट प्रस्तत करते समय, राज्य सरकार लेखांकन मानक, नीतियों और उन प्रथाओं को प्रकट करेंगी जो राजकोषीय संकेतकों को प्रभावित कर रही हैं या प्रभावित कर सकती हैं। • भारतीय रिज़र्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम / ओवरड्राफ्ट के माध्यम से उधार के ब्योरे का प्रकटीकरण	• राजकोषीय परिचालनों में बेहतर पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उपाय। • लेखांकन मानक, नीतियों तथा प्रथाओं में महत्वपूर्ण परिवर्तन का प्रकटीकरण • गारंटियों द्वारा सृजित आकस्मिक देयताओं के संबंध में जानकारी का पर्याप्त रूप से प्रकटीकरण।

अनुबंध 2: राज्यों के राजकोषीय जवाबदेही कानून *(जारी)*

मद/राज्य	मणिपुर	नगालैंड	उत्तरांचल	अरुणाचल प्रदेश	मेघालय	बिहार	गोवा
1	2	3	4	5	6	7	8
	मूल राशि और/ अथवा ब्याज का भुगतान करे तो इस देयता को राज्य के उधार के रूप में दिखाया जाए।	अथवा ब्याज का भुगतान करे तो इस देयता को राज्य के उधार के रूप में दिखाया जाए।			पर्याप्त जानकारी का प्रकटीकरण ताकि जनता उसकी जांच कर सके। • सरकार अथवा प्राधिकरण जो प्रदत्त वित्तीय शक्तियों का उपयोग करते हैं, वे कोई कार्य देने अथवा निर्माण कार्य शुरु करने से पहले प्रशासनिक अनुमोदन या वित्तीय मंजूरी दें। • प्रत्येक विभाग कार्यों और आपूर्ति आदेश एवं देयताओं का एक रजिस्टर रखेगा। • नियुक्तियां केवल स्वीकृत पदों के लिए ही की जाएं।	• सरकार, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों से सहायता प्राप्त संस्थानों में कर्मचारियों की संख्या तथा उनके वेतन का प्रकटीकरण • जब भी राज्य किसी अलग संस्था को मूल राशि और/ अथवा ब्याज का भुगतान करे, तो इस देयता को राज्य के उधार के रूप में दिखाया जाए।	
11. अन्य	• राजस्व अधिशेष की स्थिति में बनाए रखना संभव नहीं हो सकेगा तथा राष्ट्रीय सुरक्षा अथवा प्राकृतिक आपदा	• राजस्व अधिशेष की स्थिति में बनाए रखना संभव नहीं हो सकेगा तथा राष्ट्रीय सुरक्षा अथवा प्राकृतिक	• राष्ट्रीय सुरक्षा अथवा प्राकृतिक आपदा के कारण अप्रत्याशित मांग के आधार पर जीएफडी तथा आरडी निर्धारित	• राष्ट्रीय सुरक्षा अथवा प्राकृतिक आपदा के कारण अप्रत्याशित मांग के आधार पर जीएफडी तथा आरडी निर्धारित	• राष्ट्रीय सुरक्षा अथवा प्राकृतिक आपदा के कारण अप्रत्याशित परिस्थितियों जैसे कि प्राकृतिक	• राष्ट्रीय सुरक्षा अथवा प्राकृतिक आपदा के कारण अप्रत्याशित मांग के आधार पर जीएफडी तथा आरडी निर्धारित	• अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण जी एफ डी तथा आर डी निर्धारित सीमा से अधिक हो सकते हैं।

अनुबंध 2: राज्यों के राजकोषीय जवाबदेही कानून *(जारी)*

मद/राज्य	मणिपुर	नगालैंड	उत्तरांचल	अरुणाचल प्रदेश	मेघालय	बिहार	गोवा
1	2	3	4	5	6	7	8
	के कारण अप्रत्याशित मांग के आधार पर जीएफडी निर्धारित सीमा से अधिक हो सकता है। • कर से इतर राजस्व जुटाने की नीतियां अपनाई जाएं जिसमें लागत की वसूली तथा इक्विटी का पूरा ध्यान रखा जाए। • राज्य सरकार, सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रावधानों का पालन करने के लिए नियम बनाए। • यदि इस अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई होती है तो, सरकार आदेश निकालकर, सरकारी राजपत्र में प्रकाशित करके उक्त कठिनाई को दूर करने का प्रावधान आवश्यकता-	आपदा के कारण अप्रत्याशित मांग के आधार पर जीएफडी निर्धारित सीमा से अधिक हो सकता है। • कर से इतर राजस्व जुटाने की नीतियां अपनाई जाएं जिसमें लागत की वसूली तथा इक्विटी का पूरा ध्यान रखा जाए। • राज्य सरकार, सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रावधानों का पालन करने के लिए नियम बनाए। • यदि इस अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई होती है तो, सरकार आदेश निकालकर, सरकारी राजपत्र में प्रकाशित करके उक्त कठिनाई को दूर करने का	सीमा से अधिक हो सकते हैं। • कर से इतर राजस्व जुटाने की नीतियां अपनाई जाएं जिसमें लागत की वसूली तथा इक्विटी का पूरा ध्यान रखा जाए। • राज्य सरकार, सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रावधानों का पालन करने के लिए नियम बनाए। • यदि इस अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई होती है तो, सरकार आदेश निकालकर, सरकारी राजपत्र में प्रकाशित करके उक्त कठिनाई को दूर करने का प्रावधान आवश्यकता - नुसार कर सकती हैं जो इस अधिनियम के प्रतिकूल न हो। • सरकारी क्षेत्र के	सीमा से अधिक हो सकते हैं। • कर से इतर राजस्व जुटाने की नीतियां अपनाई जाएं जिसमें लागत की वसूली तथा इक्विटी का पूरा ध्यान रखा जाए। • राज्य सरकार, सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रावधानों का पालन करने के लिए नियम बनाए। • यदि इस अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई होती है तो, सरकार आदेश निकालकर, सरकारी राजपत्र में प्रकाशित करके उक्त कठिनाई को दूर करने का प्रावधान आवश्यकता- नुसार कर सकती हैं जो इस अधिनियम के प्रतिकूल न हो।	आपदाएं, आंतरिक अशांति और केंद्र से संसाधनों के अंतरण में कमी के चलते जीएफडी तथा आरडी निर्धारित सीमा से अधिक हो सकते हैं। • कर से इतर राजस्व जुटाने की नीतियां अपनाई जाएं जिसमें लागत की वसूली तथा इक्विटी का पूरा ध्यान रखा जाए। • राज्य सरकार, सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रावधानों का पालन करने के लिए नियम बनाए। • यदि इस अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई होती है तो, सरकार आदेश निकालकर, सरकारी राजपत्र में प्रकाशित करके उक्त कठिनाई को दूर करने का	सीमा से अधिक हो सकते हैं • कर से इतर राजस्व जुटाने की नीतियां अपनाई जाएं जिसमें लागत की वसूली तथा इक्विटी का पूरा ध्यान रखा जाए। • राज्य सरकार, सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रावधानों का पालन करने के लिए नियम बनाए। • यदि इस अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई होती है तो, सरकार आदेश निकालकर, सरकारी राजपत्र में प्रकाशित करके उक्त कठिनाई को दूर करने का प्रावधान आवश्यकता-नुसार कर सकती हैं जो इस अधिनियम के प्रतिकूल न हो।	• राज्य सरकार, सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रावधानों का पालन करने के लिए नियम बनाए। • यदि इस अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई होती है तो, सरकार आदेश निकालकर, सरकारी राजपत्र में प्रकाशित करके उक्त कठिनाई को दूर करने का प्रावधान आवश्यकता नुसार कर सकती हैं जो इस अधिनियम के प्रतिकूल न हो। • नकदी प्रबंधन प्रथाओं में उपयुक्त उपाय करना ताकि भारतीय रिज़र्व बैंक से ओवरड्राफ्ट न लेना पड़े।

अनुबंध 2: राज्यों के राजकोषीय जवाबदेही कानून *(जारी)*

मद/राज्य	मणिपुर	नगालैंड	उत्तरांचल	अरुणाचल प्रदेश	मेघालय	बिहार	गोवा
1	2	3	4	5	6	7	8
	नुसार कर सकती हैं जो इस अधिनियम के प्रतिकूल न हो।	प्रावधान आवश्यकता-नुसार कर सकती हैं जो इस अधिनियम के प्रतिकूल न हो।	उपक्रमों के प्रबंधन तथा उपयोगिता से जुड़े राजकोषीय जोखिमों को निष्पादन की समीक्षा करके कम करना		प्रावधान आवश्यकतानुसार कर सकती हैं जो इस अधिनियम के प्रतिकूल न हो। • सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के प्रबंधन तथा उपयोगिता से जुड़े राजकोषीय जोखिमों को निष्पादन की समीक्षा करके कम करना। • राज्य की अर्थव्यवस्था और संबंधित राजकोषीय रणनीति के संबंध में वार्षिक वक्तव्य लाना। • एक विशेष रिपोर्ट जिसमें सरकार में, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, सहायता प्राप्त संस्थानों में कर्मचारियों की संख्या तथा उनसे संबंधित वेतन की जानकारी हो।		